क्रम संख्या–039

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शनिवार, 17 मार्च, 2001 ई0

फाल्गुन 26, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास विभाग

संख्या 73/IX–60 एवं ग्रा0 वि0–सह/2001

देहरादून, 17 मार्च, 2001

अधिसूचना

प0 आ0–028

उ0 प0 पुनर्गठन अधिनियम की धारा 86 व 89 के साथ पठित उ0 प0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 96 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (25वां संशोधन) नियमावली, 1994 के नियम संख्या 253, 254 व 255 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय तीन सदस्यीय उत्तरांचल सहकारी न्यायाधिकरण की, अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की तिथि से देहरादून में, निम्नवत् गठन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1. अध्यक्ष– उच्चतर न्यायिक सेवा का अधिकारी।
2. सदस्य– राज्य सहकारी सेवा समूह 'क' का कोई सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी।
3. सदस्य– प्रशासनिक सेवा का कोई सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी जिसे सहकारिता विभाग या गन्ना विभाग या उद्योग विभाग या सामुदायिक विकास विभाग में कार्य करने का अनुभव हो।

- न्यायाधिकरण का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल होगा।
- न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों का पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जायेगा।
- न्यायाधिकरण का सदस्य दो वर्ष के लिए पदधारण करेगा।
- न्यायाधिकरण के सदस्य की इस शर्त पर पुनः नियुक्ति की जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति को न्यायाधिकरण में लगातार अवधि छः वर्ष से अधिक न हो।

• कोई अधिकारी न तो न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया जायेगा, न बना रह सकेगा यदि वह किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सभापति, उपसभापति अथवा सदस्य हो या हो जाता है या उसने 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

आज्ञा से,

(डा० आर० एस० टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

No. 73/IX-F & RD-Co-operative/2001
Dehradun, Daled, March 17, 2001

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 96 of U.P. Co-operative Societies Act, 1965 read with section 86 & 89 of U.P. Reorganisation Act, the Governor is pleased to constitute a three member Uttaranchal Co-operative Tribunal at Dehradun from the date of appointments are made for the post of the Chairman and Members under the provisions of Rule no. 253, 254 & 255 of U.P. Co-operative Societies (25th Amendment) Rules 1994, as under :

1. Chairman- An officer of Higher Judicial Service.
2. Member- A serving or a retired officer of State Co-operative Service, Class-1.
3. Member- A serving or retired officer of the Provincial Civil Service (Executive branch) having experience of the working of the Co-operative Department or Cane Department or Industries Department or Community Development Department.

- Jurisdiction of the Tribunal shall be the entire State of Uttaranchal.
- The remuneration of the Chairman and Members of Tribunal shall be such as may be fixed by the State Government.
- A member of the Tribunal shall hold office for a period of two years.
- The member of the Tribunal may be reappointed subject to the condition that the total period of continuance of that person shall not exceed six years.
- No person shall be appointed or shall continue as a member of the Tribunal if he is or becomes the Chairman, Vice- Chairman or a member of the committee of management of any Co-operative society or he attains the age of 62 years.

By Order,

(Dr. R. S. Tolia)
Principal Secretary & Commissioner.

पी० एस० यू० (आर० ई०) 02 सहकारिता/752-2001-200 (कम्प्यूटर)।

170301002-PDF c2.pdf